euoy

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

dk;ky;
कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ

जनपद पिथौरागढ़

वर्ष 2013–14

v/;k; &01

iLrkouk

भारत के नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में प्राप्त है । इन मूल अधिकारों के उपयोग करने के लिए लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का अधिकार जन सामान्य के पास होना आवश्यक है ।

1. यह मैनुवल संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अनुरूप विभाग को आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के तथा सूचना की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्धेश्य से तैयार किया गया है । अधिनियम में निर्दिष्ट बिन्दुओं के परिपेक्ष में विभागीय कार्यकलापों को इस मैनुवल में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के समक्ष सूचनाओं का तात्कालिक प्रकटन हो सके।
2. यह हस्तपुस्तिका ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विभागीय कार्मिकों तथा आम जनमानस के लिए भी सिद्ध होगी । मैनुवल में दिये गये प्रारूप इस आधार पर तैयार किये गये हैं कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी आम जनमानस को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके । मैनुवल में यथा सम्भव सरलतम शब्दों का प्रयोग किया गया है ।
3. मैनुवल में समाहित विषयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नामित लोक सूचना अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ से प्राप्त की जा सकती है। मैनुवल में प्राप्त कराई गयी जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन प्राप्त की जा सकती हो, वह भी लोक सूचना अधिकारी(मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ) की अनुमति से प्राप्त की जा सकती है । जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा, उसे अधिनियम की धारा–6(1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाषा में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा इसके लिए शासन/विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाने वाला शुल्क भी संबन्धित व्यक्ति को अधिनियम की धारा–7 में किये गये प्राविधानों के अधीन विभाग में जमा करना होगा । निर्धारित आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही व्यवस्थानुसार चाही गई सूचना उपलब्ध करायी जायेगी ।

v/;k; &2

laxBu dh fof’kf"V;k] dR; ,oa drZO;

1. यह विभाग भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम–1963 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित लोक प्राधिकरण है ''भारत का संविधान'' के अनुछेद 201 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 23 मई 1963 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका मुख्य उदेद्श्य भूमि एवं जल संसाधनों के सर्वेक्षण तथा सुधार सम्बन्धी विधि को संशोधित और सहंत करना है। इसी अधिनियम के तहत तत्कालीन राज्य सरकार (उ0प्र0) द्वारा इस अधिष्ठान की स्थापना हुई है।
2. जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण, मूनाकोट, कनालीछीना में इस अधिष्ठान द्वारा राज्य सैक्टर, राष्ट्रीय जलागम विकास योजना, आर0के0भी0वाई0 तथा एन0एफ0एस0एम0 योजना के तहत भूमि एवं जल संरक्षण के मुख्य उद्येश्य को लेकर कार्य संचालन किये जा रहे है। उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत इन सभी कार्यो का संचालन स0कृ0अधि0 वर्ग–3,एवं उप स0कृ0अधि0 वर्ग–1,2 कनिष्ठ अभियन्ता एवं कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में मूल दायित्वों के साथ विभागीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है। विभाग स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों में कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी प्रशासनाधिकरण होता है। शासकीय नीतियों एवं योजना के क्रियान्वयन का कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी सभी व्यवस्थाओं के अनुसार दायित्व निर्धारित किया गया है। ग्रामीण जनता को भूमि एवं जल सम्भरण के प्रति प्रेरित करना विभाग का मुख्य उद्येश्य है।

2.7 foHkkxh; fof’kf"V;k d vu:i viu dR;k ,o fuoZgu d fy, foHkkx dk lxBukRed <kpk fuEu idkj xfBr gA

lgk;d df"k vf/kdkjh foHkkx dk lxBukRed <kpk

1. शासन स्तर — सचिव कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन
↓
अपर सचिव कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन
↓
2. विभागाध्यक्ष — कृषि निदेशक
↓
संयुक्त कृषि निदेशक
↓
3. जनपद स्तर — मुख्य कृषि अधिकारी
↓
कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी
↓
अन्य कार्यालय स्टाफ — सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–1
↓
कनिष्ट अभियन्ता
↓
4. विकास खण्ड स्तर — सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–1,2
↓
5. ग्राम स्तर — सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–3

उपरोक्त ढ़ॉचे के अन्तर्गत इस अधिष्ठान में कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न प्रकार से स्टाप स्वीकृत है ।

1.	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी	1
2.	सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–1	4
3.	कनिष्ट अभियन्ता	1
4.	सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–2	7
5.	सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–3	21
6.	सहायक लेखाकार	1
7.	मुख्य सहायक	1
8	प्रबर सहायक	1
9	कनिष्ट सहायक	1
10.	मानचित्रकार	1
11	वाहन चालक	1
12	अनुसेवक	3
	;kx %&	43

विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्राम स्तर प्रभावी क्षेत्र के प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं जन प्रतिनिधियों संस्तुति के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं का चुनाव किया जाता है। जिसमें ग्राम स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आगणन तैयार किया जाता है जिसका पर्यवेक्षण कनिष्ठ अभियन्ता/ सहा0 कृषि अधि0 वर्ग–1 के साथ– साथ कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात परियोजना का आगणन/योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जाता है। जितनी भी परियोजनाओं का चयन किया जाता है इनमें कार्य करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति से प्राप्त कर कार्यकरने की कार्यवाही की जाती है। कार्यो की गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जिला स्तर पर कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी /मुख्य कृषि अधिकारी के अलावा मंडल स्तरीय उच्चाधिकारियों एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर दिये जाते है।

शिकायतों के निराकरण हेतु प्राप्त शिकायतों की जॉच करवा कर उनका निराकरण कार्य स्थल अथवा कार्यालय स्तर पर जहॉ भी सम्भव हो किया जाता है।

v/;k;&3

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh “kfDr;ka dh “kfDr;k ,oa drZO;

3.1 कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है।

पद का नाम		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	<u>1-fu;qfDr lEcfU/k vf/kdkj</u> – विभागीय नियुक्तियॉ एवं पदोन्नतियों के सम्बन्ध में नियमावली अनुसार व प्राविधानित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यालयध्यक्ष को नियुक्ति सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई अधिकार निहित नहीं किया गया है। <u>2- okf’kZd xksiuh; izfo’Vh lEcU/kh vf/kdkj</u>– अधिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्ठी सुस्तुत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त किया गया है। तथा सहायक निदेशक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ठी शासकीय/विभागीय नियमावली के अनुसार मुख्य कृषि अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक को निहित किया गया है। <u>3- vodk’k lEcU/kh vf/kdkj &</u> कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी को अधिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं कैडरवाइज उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार स्वीकृत करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। <u>4- vuq’kklfud@ foHkkxh; dk;Zokgh@ n.M dk vf/kdkj</u>– कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में दण्डात्म कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है। <u>5- lsok fuo`Rr lEcU/kh vf/kdkj&</u> अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के आदेश तथा कृषि निदेशक उत्तराखड को सेवा निवृत्त पेशन सम्वन्धी प्रपत्र तैयार कर स्वीकृत हेतु भेजने का अधिकार प्रदत्त है। लेकिन स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं है। <u>6- LFkkukUrj.k dk vf/kdkj &</u> अधिष्ठान में उन कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी तैनाती ग्राम स्तर /विकास खण्ड स्तर पर की गयी है उन्हें नियमानुसार/शासन की नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।
	वित्तिय	1. अधिष्ठान में कार्यरत ग्रुप ख, ग एवं घ के कर्मचारियों को अधिकतम तीन माह के वेतन के बराबर भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम स्वीकृत करने का तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों अन्य भत्तों के आहरण की संस्तुति करने का अधिकार प्रदत्त है।
कर्तव्य	1. कार्यालयाध्यक्ष के रूप में समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाहक करना । 2. विकास कार्यों का कियान्वयन, अनुश्रवण, तथा पर्यवेक्षण करना । 3. वित्तीय नियंत्रण हेतु योजनाओं की मानिटरिंग करना। 4. प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण करना। विवाद ग्रस्त सभी पहलुओं को विभागीय स्तर पर संस्तुत हेतु अग्रसारित करना तथा विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करना।	

v/;k;&4

dR;ksa d fuoZgu gsrq fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k

4.1 विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों /कार्यक्रमों का सम्पादन स्थापित नियमों व शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

अभिलेख का नाम –1. बजट सम्बन्धी सूचना 2. परियोजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पंजिका 3. विभागीय वाहन की लोग बुक	अभिलेख का प्रकार
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय 1. प्राप्त बजट का विवरण 2. कार्यो की प्रगति पंजिका 3. लोग बुक पंजिका	
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं।	पता –कार्यालय कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़। दूरभाष–226118 फैक्स –225104
नियय, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर

dR;ksa d fuoZgu gsrq cuk;s x;s fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k&

इस अधिष्ठान में कृत्यों एवं कर्तव्यों के अधीन रहते हुए कर्मचारियों के सामान्यतः बनाये गये नियम, विनियम, अनुदेश व निर्देश सम्बन्धी अभिलेख रखे जा रहे है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

अभिलेख का नाम/संक्षिप्त परिचय	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त की जा सकी है।
1. कार्यालय कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत पत्रावली अभिलेख	नियमतः	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ से ।
2. वेतन–भत्तों , चरित्र प्रतिष्टियों, सेवानिवृत्ति लाभ/ पैंसन तथा अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी शासनादेशों की गार्ड फाइल ।	नियमत	–––– तदैव ––––––
3– कर्मचारियों की वरिष्ठता व अन्य अभिलेख	नियमत	–––––– तदैव ––––

- 8 -Write of information.doc

अध्याय -5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्ष के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु
5.1 विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों में जनपद स्तर पर कोई नीति निर्धारित नहीं की जाती है षासन/विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही चयनित कार्यक्रमो का क्रियान्वयन किया जाता है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों के आधार पर विकास के कार्यक्रमों को अमल में लाया जाता है।

v/;k; &6

6.1 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजो का प्रबर्गो के अनुसार विवरण।

nLrkost @ vfHkys[kksa dk fooj.k %&

क0सं0	प्रवर्ग	दस्तावेत का नाम एवं परिचय	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासनिक	1–उपस्थिति पंजिका	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी
		2–आदेश पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
		3–आक्समिक अवकाश पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
2	अधीष्ठान अनुभाग	1–स्थापना / लेखा / कैशियर / प्राविधिक	तदैव	तदैव	तदैव
		2. पत्र प्राप्ति एवं प्रेक्षण पंजी, डाक वितरण पंजी, डाक टिकट पंजिका, भंडार क्रय पत्रावली, रजिस्टर आफ रजिस्टर पंजी,	तदैव	तदैव	तदैव
		3. डैड स्टाक, कन्जूमेविल स्टाक पंजिका, लेखन पंजीका,	तदैव	तदैव	तदैव
		4. लघु वाहन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		5. भूमि एवं जल संरक्षण समिति बैठक पंजिका,,	तदैव	तदैव	तदैव
		6. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति पंजिका / पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		लेखा कक्ष से सम्बन्धित अभिलेख			
		विभिन्न योजनाओं की पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण आयोजनागत	तदै	तदैव	तदैव
		जलागम समितियों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत के उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		आई0डब्लू0डी0पी0 की पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

		आन्तरिक सम्प्रेक्षण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		सम्प्रेक्षण पत्रावली महाले0/ विभागीय	तदैव	तदैव	तदैव
		भवन निर्माण अग्रिम पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		पंचायतराज से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत विल पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण विल पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
		आई0डब्लू0डी0पी0 विल पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		कैशियर से सम्बन्धित पत्रावली			
		जमानत पंजिका, जी0पी0एफ0 लेजर, जी0पी0एफ0 पास बुक, ड्राफ्ट पंजिका, चैक बुक रजिस्टर, रोकड़ वही, रोकड़ प्राप्ति रसीद बुक, चालान जमा पंजिका, द्वितालक पंजिका,	तदैव	तदैव	तदैव
		स्थापना से सम्बन्धित पंजी/पत्रावलिया			
		स्थापना पंजिका, वेतन बृद्धि पंजिका, कर्मचारियो के सेवा अभिलेख, मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

v/;k; & 7

ckM ifj'kn] lfefr;k ,o vU; ;kstukvks dk fooj.k

7.1 भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के परिपालन में सूक्ष्म जलागम का का चयन कर प्रत्येक जलागम क्षेत्र में कार्य के संचालन हेतु एक समिति का चयन किया जाता है समिति में अध्यक्ष, सचिव तथा 12 सदस्य होते है जिनका चुनाव ग्राम स्तर पर आम बैठक कर किया जाता है। कार्यों की तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग का एक ग्राम स्तरीय कर्मचारी होता है जिसे तकनीकी सहायक का नाम दिया जाता है। जलागम मे संचालित किये जाने वाले प्रत्येक कार्य का प्रस्ताव जलागम संघ द्वारा पारित किया जाता है।इसी प्रकार आर0के0वी0वाई0 योजना के अन्तर्गत एकीकृत बहुउददे्शीय जल सम्भरण टैंको का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान एंव जनप्रतिनिधयों के प्रस्ताव के आधार पर क्षेत्र का चयन कर किया जाता है। इसमें टैंक निर्माण में 5 प्रतिशत एंव अन्य कार्य जैसे– घास रोपण, मुर्गीपालन, पॉलीहाउस, वर्मीपिट, मछलीपालन आदि में 20 प्रतिशत अनुदान अग्रिम रूप में लाभार्थी से लिया जाता है। केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना भी विभाग द्वारा संचालित की जाती है जिसमें कलस्टर प्रदर्शनों के साथ–साथ सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिचाई टैंक अथवा सिचाई गूल का निर्माण किया जाता है।

इस अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न योनजाओं में निम्न विवरणानुसार परियोजनाओं का चयन कर कार्य सम्पादन कराया जाता है।

1& jk"Vh; tykxe fodkl ;kstuk ckjkuh ¼X;kjgoha iapo'khZ; ;kstuk dh vUrxZr½&

विकास खण्ड विण– 1–काल्पानीगाड तृतीय 2– काल्पानीगाड चतुर्थ 3– किनीगाड तृतीय।

विकास खण्ड कनालीछीना– 1–डौडागाड, 2–रणुवागाड

2& vkj0d0oh0okbZ0 ;kstuk dh vUrxZr ,dhd`r cgqmn~ns'kh; ty lEHkj.k ;kstuk

विकास खण्ड विण– 1–जमराडी

विकास खण्ड मूनाकोट– 1– गाडगांव, 2–कुसेरी, 3–कटियानी, 4–बडाबे, 5–जुलपाता, 6–चौडी, 7–जाजर चिंगरी I,II

*विकास खण्ड कनालीछीना–*1– चमू, 2–बडलचमू, 3–मारकूना, 4–बमडोली, 5–सिरोली, 6–रिण, 7–गाजरी, 8–हुसगैर

3& jk'Vh; [kk| lqj{kk fe'ku ;kstuk

विकास खण्ड विण– 1–थरकोट, 2–पाली, 3–जजुराली

विकास खण्ड मूनाकोट– 1– गंगासेरी, 2–गलात, 3–चौडी

विकास खण्ड कनालीछीना– 1–गाजरी, 2–मुवानी

इस प्रकार राष्ट्रीय जलागम बारानी में कुल पांच समितियां एंव आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत कुल 17 परियोजनाऐं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कुल 8 योजनाओं में कार्य संचाालित किया जा रहा है। इन योजनाओं में कार्यो का विधिवत मापन/सत्यापन एंव विभिन्न स्तरों से जांच करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

v/;k; &8

ykd lpuk vf/kdkfj;k d uke] inuke ,o vU; fof'kf"V;k

8.1 लोक सूचना अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना–
अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई मेल	पता
				कार्या0	आवास			
1	–	मु0कृ0अधि0	05964	225104	–	225104	–	कार्या0मुख्य कृषि अधि0 अपीलीय अधिकारी
2	श्री विजय देवराडी	कृ0ए0भू0 स0अधि0	05964	226118	–	225104	–	कार्या0 कृषि एंव भूमि संरक्षण पिथौरागढ़ लोक सू0 अधि0

8.1 सहायक सूचना अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई मेल	पता
				कार्या0	आवास			
1	श्री सुखबीर सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	05964	226118	–	225104	–	विकास खण्ड प्रभारी मूनाकोट
2	कु0पूजा सामन्त	स0कृ0अ0वर्ग–1	05964	226118	–	225104	–	विकास खण्ड प्रभारी विण
3	श्री जयपाल	स0कृ0अ0	05964	226118	–	225104	–	विकास खण्ड प्रभारी कनालीछीना

v/;k; &9

fu.k; yu dh ifd;k

fofu’p; dju dh ifd;k e ikyu dh tku okyh ifd;k&

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन क्रियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित कार्यक्रमों का समय–समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सहायक निदेशक के साथ–साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के आय–व्ययक सम्बन्धी कार्यो को भी समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों / व्यवस्थाओं के अनुरूप सम्पदित किया जाता है। यदि किसी स्तर पर नियमानुसार कार्य सम्पादन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार का गतिरोध प्रकाश में आता है तो ऐसे उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध शासकीय नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही प्राविधानित की जाती है।

यदि किसी स्तर पर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो इसके निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर निदेशक महोदय से कार्यवाही हेतु निवेदन की प्रक्रिया शासनादेश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार प्रक्रिया अमल में लायी जाती है।

विभाग द्वारा अपने निर्णय से कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित / चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को ही विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

10&1-   lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005

dk;ky; &df"k ,o Hkfe lj{k.k vf/kdkjh fiFkkjkx<A

d0l0	Ukke	inuke	,l0Vh0Mh0 dkM	njHkk'k uEcj		QDl uEcj	b0ey	irk
				dk;ky;	vkokl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री विजय देवराड़ी	कृ0एंव0भू0स0अधि0	05964	226118	–	225104	–	ग्राम –थराली, जिला–चमोली
2.	श्री सुखबीर सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	05964	226118	–	225104		ग्राम आन्ने की हेतमपुर खुर्द,पो0–औरंगाबाद,जिला–हरिद्वार
3	कु0पूजा सामान्त	स0कृ0अ0 वर्ग–1	05964	226118		225104		ग्राम–लुपडा,पो0–विविल,जिला–चम्पावत
4.	श्री गोकुलानन्द भटट	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	05964	226118	224311	225104	–	ग्राम भाट्नयाल जुडा0 पो0 मनाल जिला अल्मोडा।
5.	भूपाल सिंह बोरा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	05964	226118	223766	225104	–	ग्राम चौकी पो0 गणाई गंगोली,जिला पिथौरागढ
6.	जयपालसिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–2	05964	226118	–	225104	–	ग्राम मनोहर पुर (कालौनी)हाल डेरी फार्म पो0दस्तिनापुर जिला– मेरठ
7.	गिरिराज गोस्वामी	स0कृ0अ0 वर्ग–2	05964	226118	–	225104	–	ग्राम–सेलाखेत,पो0–जोस्यूड़ा, भवाली,जिला–नैनीताल
8.	श्री माधवानन्द पंत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	251175	225104	–	ग्राम खगरैटी,पो0 चन्थरिया, जिला अल्मोड़ा
9.	श्री पूरन चन्द्र जोशी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	223364	225104	–	ग्राम कनालीछीना पो0 कनालीछीना जिला–पिथौरागढ़
10.	वीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम मडैया मिश्रीपुर पो0काढ,जिला–मुरादाबाद
11	श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम–मावापुर,पो0दोरउ,जिला–बुलन्दशहर।
12.	निधिराज सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम–बुडगरा,पो0–बुडगरा, जिला– विजनौर।
13.	श्री महेश चन्द्र दुर्गापाल	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम हरिपुर,फुटकुऑ,पो0 देवलचौड़ा, जिला –नैनीताल
14.	श्री रामतीर्थ यादव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम हैदराबाद,पो0पुष्पनगर, जिला –आजमगड,
15.	श्री कुशलपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम व पो0 बनत, जिला –मुजफरनगर
16.	श्री प्रेम सिंह कोटलिया	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम कोटली,पो0–नाई, जिला नैनीताल
17	श्री आनन्द सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104		ग्राम चनौली,पो0 गागरीगोल,जिला–बागेश्वर
18.	श्री लक्ष्मण सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104	–	ग्राम वपो0 सैंडा, जिला झासी,
19.	श्री सत्यपाल गंगवार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104		ग्राम व पो0 जोगीडेर,जिला– पीलीभीत।
20.	श्री गणेश चन्द्र घ्यानी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	05964	226118	–	225104		ग्राम –चमण्डल,पो0श्रीकोटखाल,जिला–पौडीगढवाल,
21.	श्रीमती मुन्नी जोशी	मुख्य सहायक	05964	226118	–	225104	–	ग्राम धारी–धमोड़ा पोस्ट ऐंचोली जिला पिथौरागढ
22.	श्री जीतेश चन्द्र पन्त	कनिष्ट सहायक	05964	226118	223095	225104	–	पाण्डेगांव ,विवेकानन्द कालैनी ,जिला –पिथौरागढ।
23.	श्री संजय सिंह	जीप चालक	05964	226118	–	225104	–	ग्राम –सिल्थाम ,धारचुलारोड जिला–पिथौरागढ़।
24.	श्रीमती बसन्ती	अनुरेखक	05964	226118	–	225104	–	ग्राम – सुखपौखरा,पो0बीसाबजेड,–बजेड, जिला पिथौरागढ
25.	श्री बलबीर चंद	अनुरेखक	05964	226118	–	225104	–	गम–सल्लाचिंगरी पो0 बडावे, जिला–पिथौरागढ

11&1 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e &2005
dk;ky; df"k ,o Hkfe lj{k.k vf/kdkjh] fiFkkjkx<

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषित / पारिश्रमिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विजय देवराड़ी	कृ0एंव0भू0स0अधि0	26630.00	29870.00	पारिश्रमिक भत्ता –महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, सीमान्त वेतन
2.	श्री सुखबीर सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	18190.00	26487.00	मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते सम्मिलित हैं ।
3	कु0पूजा सामान्त	स0कृ0अ0 वर्ग–1	18190.00	26407.00	
4.	श्री गोकुलानन्द भटट	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	22600.00	25840.00	
5.	भूपाल सिंह बोरा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	22590.00	25830.00	
6.	जयपालसिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–2	17100.00	15340.00	
7.	गिरिराज गोस्वामी	स0कृ0अ0 वर्ग–2	22600.00	26060.00	
10.	श्री माधवानन्द पंत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21000.00	22300.00	
11.	श्री पूरन चन्द्र जोशी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	16600.00	19360.00	
12.	वीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	18080.00	20760.00	
13.	श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	16800.00	19440.00	
14.	निधिराज सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21200.00	24460.00	
15.	श्री महेश चन्द्र दुर्गापाल	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	18360.00	20040.00	
16.	श्री रामतीर्थ यादव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	16740.00	19040.00	
17.	श्री कुशलपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	18280.00	20760.00	
18.	श्री प्रेम सिंह कोटलिया	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21000.00	23700.00	
19.	श्री सत्यपाल गंगवार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21000.00	24460.00	
20.	श्री लक्ष्मण सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	16880.00	19440.00	
20.	श्री गणेश चन्द्र घ्यानी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21000.00	23700.00	
19.	श्री आनन्द सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	21280.00	24460.00	
21.	श्रीमती मुन्नी जोशी	मुख्य सहायक	15160.00	15580.00	
24.	श्री जीतेश चन्द्र पन्त	कनिष्ट सहायक	10460.00	14546.00	
26.	श्री संजय सिंह	जीप चालक	12030.00	13560.00	
27.	श्रीमती बसन्ती	अनुरेखक	11440.00	12910.00	
25.	श्री बलबीर चंद	अनुरेखक	7000.00	8080.00	

कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी
पिथौरागढ।

v/;k;& 12
iR;sd vfHkdj.k dk vkcafVr ctV

12-1 bl vf/k"Bku ls lEcfU/kr ctV dh lwpuk&

वर्ष 2013–14 (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	मद		प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय
1	स्थापना सम्बन्धी बजट		12507	12507	4 किश्तों में	12507
2	मैक्रोमोड(बारानी)		2933	2933	2 किश्तों में	2933
3	राज्य सेक्टर	मृदा एंवं जल संरक्षण	–	–	–	–
		जल सभरण	1241	1241	1 किश्तों में	1241
4	डी0पी0ए0पी0		––	–	–	–
5	आई0डब्लू0डी0पी0		––	–	–	–
6	आई0डब्लू0डी0पी0 हरि0		––	–	–	–
7	मनरेगा			44.00	1 किश्तों में	31
8	वी0ए0डी0पी0		1308	1308	2 किश्तों में	1308
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		6586	6586	3	6586
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन		2394	2394	2	2394
11	जिला योजना		1943	1943	2	1943

v/;k;&13

vunku@jkt lgk;rk dk;ldek d fd;kUo;u dh jhfr ¼Li'ky dEikuUV½

13.1 कार्यक्रम का नाम	मृदा एंव जल संरक्षण के अन्तर्गत नाला नियंत्रण एंव भू–स्खलन नियंत्रण कार्य
कार्यक्रम के प्रभावी रहने की समयसीमा	एक वर्ष
कार्यक्रम का उद्देश्य	नाला नियंत्रण एंव भू–स्खलन नियंत्रण कार्य
कार्यक्रम के भौतिक एंव वाणिज्यिक लक्ष्य	भौतिक– 129.50 है0, वित्तीय– 19.43 लाख

वर्तमान में आर0के0वी0वाई0 योजना को छोडकर अन्य सभी योजनाओं में लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का अनुदान दिये जाने का प्राविधान नही है। सामूहिक रूप से निर्माण कार्य के रूप में ही अनुदान दिया जाता है। नगद या छूट के रूप में अनुदान दिये जाने का विभाग में कोइ प्राविधान नही है। विभाग में नियमानुसार उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति एंव अन्य कृषको से प्राप्त प्रार्थना पत्रों एंव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर प्राथमिकता से परियोजना का चयन कर सामूहिक रूप से निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते है। प्रभावी क्षेत्र का चयन करने के उपरान्त विकास खण्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा उस क्षेत्र का विस्तृत आगणन तैयार किया जाता है जिसका परिवेक्षण विकास खण्ड प्रभरी, कनिष्ठ अभियन्ता, कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी एंव मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा कर आगणन को अंतिम रूप दिया जाता है। निर्माण कार्यों में मुख्यतः मृदा एंव जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्य जैसे – नाला नियंत्रण, भू–स्खलन नियंत्रण, सिचांई सुविधा का विस्तार आदि कार्य सम्पादित किये जाते है। उक्त प्रक्रिया से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ न मिलकर सम्पूर्ण क्षेत्र वासियेां को लाभ मिलता है। प्राप्त बजट का पूर्ण विवरण अध्याय 12 में अंकित किया जाता है। इस प्रकार जिला योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के ग्रामों का विवरण विकास खण्डवार निम्न प्रकार है।

विकास खण्ड विण– विषाड, सिरपोली, गडार पापला, उखडीसेरी।

विकास खण्ड मूनकोट– रियांसी, दिगरा।

विकास खण्ड कनालीछीना– खोलियागांव, जोगापानी, डुन्डू।

सम्पूर्ण सम्पादित कार्यो का विवरण एंव कार्यो पर हुए व्यय की सूचना लिखित आवेदन करने एंव शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

v/;k; &14

fj;k;rks] vuqKki=ks rFkk izf/kdkjks ds izkIrdrkZvks ds lEcU/k esa fooj.k

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं हैं, जिसमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों आदि का दिया जाना प्राविधानित हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था विभाग में प्रतिपादित की गयी है।

v/;k; &15

dR;ks ds fuoZgu ds fy, LFkkfir ekud@ fu;e

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन स्थापित नियमों व शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

vf/k"Bku lEcU/kh dk;Z&

अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित वेतन समिति की संस्तुतियों एवं विभागीय निर्देश के क्रम में जारी शासनादेश के अधीन रहते हुए, वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, अनुसेवकों एवं वाहन चालकों को नियमानुसार ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य की जाती है।

2. विभाग का मूल उद्येश्य मृदा एवं जल का संरक्षण अधिक से अधिक मात्रा में किया जाना है। मृदा संरक्षण एव जल के संचय के लिये कच्चे–पक्के तालाब, खन्तियां खोद कर उसके आसपास बन प्रजाति अथवा फल प्रजाति के पौधो का रोपण तथा बंजर पड़ी भूमि में मिट्टी एवं पानी को रोके रहने वाली प्रजाति की घास को अधिक से अधिक मात्रा में रोपित किया जाता है। इस क्रिया से एक ओर मृदा एवं जल का संरक्षण होता ही है। दूशरी ओर कृषकों को दुधारू पशुओं के लिए अच्छा एवं पौष्टिक चारा भी स्थानीय तौर पर कम लागम में उपलब्ध हो जाता है। जिससे पशुओं में अधिक मात्रा में दूध देने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है। फलस्वरूप कृषक की आमदनी भी बढ़ती है।

इस प्रकार से विभाग कृषकों को स्वाभीलम्बी बनाने की ओर भी अग्रसर है।

v/;k;&16

byDVkfud :i e miyC/k lpuk;

साधारणतया इलैक्ट्रॉनिक रूप में इस कार्यालय द्वारा सूचनाये तैयार नहीं की जाती है,आवश्यकता पड़ने पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचनायें तैयार की जाती हैं। इस कार्यालय के पास कोई वेवसाइट उपलब्ध है ।

v/;k;&17

lpuk ikIr djus d fy, ukxfjdk dk miyC/k lpukvk dk fooj.k

नागरिकों को विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय आदि की व्यवस्था विभाग में नहीं है, तथा न ही किसी प्रकार के नाटक/ नुक्कड़ कार्यक्रमों का ही आयोजना किया जाता है। समय–समय पर स्थानीय तौर पर शासन/विभाग द्वारा प्रर्दशनियों का आयोजन किया जाता है जिसमें विभागीय क्रियाकलापों की पूर्ण जानकारी आप जनमानस को दी जाती है। इसके साथ ही जिला स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को विभागीय कार्यो एवं क्रियाकलापों की जानकारी दी जाती है। वर्ष में सम्पादित/क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित कर जनता तक पहुॅचाने का प्रयास किया जाता है। वैसे भी विभागीय कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी निश्चित रहती है। विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी विभिन्न बैठकों यथा ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के माध्यम से भी दी जाती है।